चिटफंड कम्पनियों द्वारा ठगी से संबंधित कांडों के अनुसंधान हेतु कार्य योजना

SL No-	SUBJECT	DO'S	DON'T'S
1.	प्राथमिकी	1. घटना की सूचना मिलने पर तत्काल थाना दैनिकी में प्रविष्टि (S.D Entry) (पु0ह0नि0– 116) करते हुए Hue and Cry नोटिस नियत्रंण कक्ष के माध्यम से सभी संबंधित को भेजने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। 2. जिन मामलों में अनवेषण या अनुसंधान का आधार अपर्याप्त हो, वैसे मामले में तत्काल सूचनादता या परिवादी को आ0ह0प्र0सं0–82 में यह बात तुरन्त अंकित कर सूचित कर दी जाय कि उक्त परिवाद का अन्वेषण नहीं किया जायगा। 3. प्राथमिकी का अध्ययन 4. वादी का बयान	
2.	घटनास्थल एवं साक्ष्य संकलन	1. घटना की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना की घटनास्थल की यथासंभव सीमा निर्धारण, घेराबंदी (Cordoning) कराया जाना चाहिए। वादी को सूचित करें कि घटनास्थल पर व्यक्तियों का गमनागमन हो, ताकि उपलब्ध साक्ष्य के विनष्ट होने की संभावना क्षीण रहे। 2. घटनास्थल का फोटो विभिन्न कोणों से खींचना। 3. प्रदर्शो की मार्किंग करें। 4. घटनास्थल से भौतिक रूप से प्राप्त हुये सुराग (अंगुलांक, पदचिन्ह व अन्य वस्तु) को एकत्रित करना (Collection,Handling & Packing) एवं वि" ोशज्ञ से जांच कराना। 5. घटनास्थल की विस्तृत विवरण, चौहदी सहित अंकित करना एवं घटनास्थल को आरेखित (स्कैच) करना।	कम्प्यूटर/मोबाईल/लैप टॉप के साथ कोई छेडछाड नहीं करेंगे।

		6. यदि घटनास्थल या उसके आस–पास सी0सी0 टी0वी0 लगा हो तो उसका फुटेज एकत्रित करना। 7. घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्य से अपराधियों के विरूद्ध सूत्र हस्तगत करने हेतु श्वान दस्ता (Dog squad) की मदद लेना। 8. अपराधियों के द्वारा प्रयोग किये गये Modus Operandi के संबंध में सूचना संग्रह करना। 9. Different Type Material जैसेः– अभिलेखों, Finger Prints, रक्त, बाल, Fibers, और मिट्टी, Paint इत्यादि जो अपराधियों के द्वारा घटनास्थ्ल पर छोड़ा गया हो एवं उपलब्ध हो उसे संग्रह करना। 10. बढ़ने का Vital Clues. का मिलने की संभावना हो 11. संदिग्ध के Identification के संबंध में सूचना संग्रह करना। 12. प्राप्त सूचना के आलोक में अविलंब घटनास्थल की ओर प्रस्थान करें एवं घटनास्थल पर घटना से संबंधित तथ्य एवं साक्ष्यों को संग्रह करना सुनिश्चित करेंगे। 13. गवाहों की जाँच (Witness's Testimony) जो साक्ष्य को सहायतार्थ एवं इन्कार करता हो, की सूचना संग्रह करना। 14. घटनास्थल पर गवाहों के समक्ष संबंधित कागजातों को जप्त करना 15. घटनास्थल पर उपलब्ध कम्प्यूटर/ लैपटॉप/मोबाईल इत्यादि को विधिवत् जप्त करना	
3.	जप्ती सूची	1. आरोपों से संबंधित दस्तावेजों का जप्त करना 2. आरोपियों/संदिग्धों के यहॉ संबंधित दस्तावेजों को पाने हेतु तला" ाी लेना 3. कांड से संबंधित कार्यालयों/ व्यक्तियों से दस्तावेज प्राप्त करने हेतु द0प्र0सं0 की धारा–91 के तहत नोटिस जारी करना। 4. चिटफंड कम्पनियों के संबंध में प्रतिवेदित कांडों में रकम जमा कराने से	1. Search के दौरान यदि Cr.PC.की धारा 100 में दिए गए निर्दे" ाों का अनुपालन नहीं किया जाएगा, वैसा search अवैध होगा, वैसे search का विरोध किया जा सकता है।

		संबंधित रसीद, पंजी, पीडितों को दिये गये कागजातों, प्रमाण पत्रों, चेकों इत्यादि की मूल प्रति को जप्त करना। 5. नियम/प्रक्रिया के संबंध में सर्कुलर संबंधित विभाग से प्राप्त करना (चिटफंड कम्पनियों के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, सेबी एवं आर0बी0आई0 से कम्पनी के संबंध में कागजातों को प्राप्त/जप्त करना)। 6. अनुसंधानकर्त्ता जप्ती–सूची बनाते वक्त द0प्र0सं0 की धारा–102, 457 एवं 458 में दिये गये अनुदेशों का अवश्य अनुपालन करें। 7. द0प्र0सं0 की धारा–100 में कोई भी कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी स्थान/भवन में तला" ाी कर अभिलेख को जप्त कर सकते हैं जो 100 द0प्र0सं0 के तहत तथ्य है। 8. यदि search के दौरान स्थानीय गवाह उपलब्ध नहीं हो तो वैसा search अवैध नहीं होगा। (search is not vitiated) 9. द0प्र0सं0 की धारा–100(6)(7) में प्रावधान है कि जप्त सम्पति का प्राप्ति रसीद स्वामी को लेने का अधिकार है।	
4.	गवाहों का परीक्षण	1. गवाहों का बयान लेना 2. संबंधित दस्तावेजों की पुश्टि गवाहों से करना	
5.	साक्ष्य संकलन (घटनास्थल के अतिरिक्त)	1. चिटफंड कम्पनियों के संबंध में आयकर विभाग से कम्पनी के आय के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। 2. चिटफंड कम्पनियों की बैंक खाता विवरणी प्राप्त करना एवं उसका वि" लेशण कर अग्रतर कार्रवाई करना। 3. संदिग्धों/अभियुक्तों के लिखावट/हस्ताक्षर का नमूना लेना एवं वि" ोशज्ञ से उसकी जाँच करवाना। 4. संदिग्धों/अभियुक्तों का बयान लेना एवं अग्रतर कार्रवाई करना। 5. R.B.I./SEBI से प्रतिवेदन प्राप्त करना।	
6.	वैज्ञानिक अनुसंधान	1. संदिग्धों/अभियुक्तों के लिखावट/	

	(Scientific Investigation)	हस्ताक्षर के नमूने एवं संबंधित प्र" नांकित कागजातों की जाँच वि" ोशज्ञ से करवाना। 2. घटना से संबंधित कम्प्यूटर, लैपटॉप इत्यादि की जाँच फोरेसिंक वि" ोशज्ञ से कराना एवं घटना से संबंधित विवरणी की मांग (कम्प्यूटर/लैपटॉप में उपलब्ध) वि" ोशज्ञ से करना	
7.	रेकर्ड चेक करना	1. दस्तावेजों/जप्त कागजातों का वि" लेशण करना 2. वि" ोशज्ञ (हस्तलिपि वि" ोशज्ञ, फोरेसिंक वि" ोशज्ञ इत्यादि) से रिपोर्ट प्राप्त करना 3. आरोप एवं प्राप्त प्रतिवेदनों में सह–संबंध स्थापित करना	
8.	पीडित/पीडिता के साथ की जाने वाली कार्रवाई/ सावधानियॉ	1. घटना की सत्यता की जाँच 2. गलत रिपोर्ट/आवेदन 3. दीवानी विवाद 4. घरेलु विवाद 5. अन्य कोई अपराध	
9.	स्वीकारोक्ति बयान का आलेखन (Recording of confessional statement)	1. अभियुक्तों का स्वीकारोक्ति बयान अंकित करना। 2. अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आलोक में अग्रतर अनुसंधान (कागजातों एवं अन्य सामग्रियों को जप्त करना इत्यादि) 3. स्वीकारोक्ति बयान में आये तथ्यों की गहराई से जाँच करना 4. गिरफ्तार व्यक्तियों का अभिलेख और उसका निपटारा आ0ह0प्र0 सं0–31अ के अनुसार संधारित की जायेगी। 5. गिरफ्तार अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान विशेष शाखा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार अभिलेखित किया जाना चाहिए। (To Prepare questionnaires for examining the accused) 6. स्वीकारोक्ति बयान इस उद्वेश्य से लिया जाना चाहिए, ताकि उस बयान के आधार पर लूटी गई सम्पत्ति/प्रयुक्त हथियार, पदार्थ अन्य वस्तुएं जो साक्ष्य की महत्पूर्ण कड़ी हो की बरामदगी की जा सके। (Leading to the recovery- as per	

		the provisions of u/s 27 Evidence Act.) 7. अभियुक्त का पहचान परेड़ (T.I Parade) करना चाहिए। 8. गिरफ्तारी के समय पुलिस पदाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा AIR 1997 SC 610 में D.K Basu VS State of west Bangal में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेंगे। 9. अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेखित करते वक्त द0प्र0सं0 की धारा–281 में दिये गये प्रावधान को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखेंगे एवं Precaution लेंगे।	
10.	वारंट (Warant)	1 न्यायालय में वारण्ट (Memo Of Evidence) हेतू अधियाचना समर्पित करते वक्त साक्ष्य ज्ञाप का विस्तृत रूप से उल्लेख करें। 2 अपराधकर्मी यदि दूसरे जिला का हो तो कु" ाल पदाधिकारी को भेजकर तामिला करना चाहिए। (A warrant of arrest may be excuted at any place of India. Cr.PC.77) 3 अभियुक्त की पहचान स्थापित करना। 4 सदिग्धों एवं अभियुक्तों के आवास/ कार्यालय की तला" ाी होतु न्यायालय से वारंट प्राप्त करना। 5 साक्ष्य संकलन के प" चात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से वारंट प्राप्त करना। 6 गिरप्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थापित करें। (Cr.P.C u/s 56, 57) 7 जमानतीय धारा के कांडों में गिरप्तार अभियुक्त को Sureties (प्रतिभूति/बंध पत्र)लेकर पुलिस पदाधिकारी विमुक्त करें। (Cr.P.C u/s 50(2) । 8 गिरप्तार व्यक्ति यदि Medical assistance के लिए अनुरोध करें तो उन्हें तत्काल चिकित्सकीय	

			सुविधा मुहैया कराया जाय एवं इसकी प्रविष्टि पंजी में की जाय । महिला की चिकित्सकीय जांच केवल महिला Medical practitioner से करायी जाय। (Cr.P.C 53)	
		9	किसी व्यक्ति को Search, बिना आक्रमक्ता एवं बल लगाए बिना उनकी निजता का ख्याल रखते हुए Dignity के साथ करना चाहिए। महिलाओं का Search महिला पुलिसकर्मी हीं करें (Cr.P.C 51(2))।	
		10	किसी को भी बेड़ी (leg chains) और हथकड़ी (Handcuffs) न लगाये। (This mandated in judgement of the Supreme Court in Prem Shanker Shukla vs Delhi Administration (1980) 3 Scc 526 and citizen For Democracy vs state of Assam [(C 1995)3 Scc 743)	
		11	सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं की गिरप्तारी से परहेज करें ।	
		12	बिना Warrant के गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण, उसकी भाषा में बताएँ/गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप पुलिस अभिलेख में संधारित रहे। उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध कराएं। (Cr.P.C u/s 50 (i))	
		13	गिरफ्तार व्यक्ति के अनुरोध पर उनके परिवार/मित्र को निरूद्ध (detention) का कारण बताना चाहिए। जिन्हें कारण बताया गया है, उनका नाम पता पंजी में संधारित अवश्य करें। (Jogender Kumar's Case (1994) 4 SCC 260))	
		14	जधन्य/गंभीर प्रकृति के अपराधों को छोड़कर अन्य में गिरफ्तारी से परहेज करें। पुलिस पदाधिकारी संबंधित को थाना में उपस्थित होने के लिए सूचित करें तथा उन्हें	

		हिदायत दें कि बिना अनुमति के थाना से न जाए। (Jogender Kumar's Case (1994) 4 SCC 260)) 15 द0प्र0सं0 की धारा–75 में गिरफतारी वारन्ट के संबंध में अधिसूचना पुलिस पदाधिकारी अथवा दूसरे कोई पदाधिकारी जो वारन्ट का निश्पादन कर रहे हों वे गिरफतार किये जाने वाले व्यक्ति को वारन्ट दिखायेगें। 16 दं0प्र0सं0 की धारा–76 में गिरफतार व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य कोई दूसरे पदाधिकारी गिरफतार व्यक्ति को बिना बिलम्ब किये हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर देगें (धारा–71 द0प्र0सं0) यात्रा के अवधि को छोड़कर 24 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए। गिरफतार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा।	
11.	अभियोजन स्वीकृत्यादे" ।	1 अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी हो तो उस पर अभियोजन चलाने हेतु संबंधित विभाग से अभियोजन स्वीकृत्यादे" । प्राप्त करना। 2 अनुसंधानकर्त्ता अन्वेषण का सारांश/कांड का ब्यौरा न देकर आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन की संख्या और तिथि भर अंकित रहेगी। (पु0ह0नि0–174 और 181 द्रष्टव्य) 3 अनुसंधानकर्त्ता आ0ह0प्र0सं0–32 में यथाशीग्र न्यायालय में भेजेंगे। साथ ही इसकी सूचना सूचनादाता को भी आ0ह0प्र0सं–82 में भेज दी जायेगी। (द0प्र0सं0 की धारा–173 एवं 190 (ख) द्रष्टव्य)।	